UPBL010039382022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया।

प्रतिभू प्रार्थनापत्र संख्या–1906/2022

1–ओम प्रकाश प्रजापित।
2–तेज बहादुर प्रजापति पुत्रगण रामअवध
3–देवी लाल।
4–घनश्याम पुत्रगण तेज बहादुर
साकिनान–करम्मर, थाना–खेजुरी, जिला बलिया।

.....आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....विपक्षी

मु0अ0सं0–132/2021

धारा–147, 323, 504, 506, 354 बी. भा0दं0सं0 3(2)(Va) एस.सी./एस.टी. एक्ट।
थाना–खेजुरी, जिला बलिया

दिनांक 20.09.2022

.आवेदक/अभियुक्तगण ओम प्रकाश प्रजापित, तेज बहादुर प्रजापति, देवी लाल एवं घनश्याम की ओर से प्रतिभू पर निर्मुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर .आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेम में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी अनिता पासवान साकिन–करम्मर, थाना–खेजुरी, जिला बलिया की निवासिनी है तथा दुसाध जाति की महिला है, जो अनुसूचित जाति में आती है। अभियुक्त तेज बहादुर की राईस मिल चलती है तथा ओम प्रकाश हमेशा रोज शाम को शराब पीकर सड़क पर खड़ा होकर जाति सूचक गाली देता रहता है। जब ट्रक व ट्रैक्टर उसके राईस मिल पर आता है तो वादिनी की नाबदान की नाली हमेशा ट्रकों के द्वारा तोड़वा देता है, जिस कारण वादिनी का हमेशा अभियुक्तगण से विवाद होता रहता है। दिनांक 27.01.21 को 7.00 बजे शाम को अभियुक्तगण के राईस मिल पर ट्रैक्टर आया था, उस समय ओम प्रकाश नशे की हालत में रोड पर खड़े होकर वादिनी को जाति सूचक व मॉ बहन की गाली देते हुए वादिनी के नाबदान की नाली को तोड़वा दिया। वादिनी अभियुक्तगण से कहने लगी कि फिर से उसकी नाली तोड़वा दिये। इस पर ओम प्रकाश आग बबूला हो गये और कहने लगे कि तेरी ये औकात, तुम दुसाधिन हमलोगों से बात करेगी। अपने भतीजे वगैरह को ललकारते हुए कहा कि मारो साली दुसाधिन को, तब उपरोक्त अभियुक्तगण वादिनी को मारने के लिये दौड़ा लिये तथा वादिनी को सार्वजनिक रास्ते पर पकड़ कर दुसाधिन कहते हुये लात झापड़, थप्पड़े से मारने लगे और वादिनी का साड़ी ब्लाऊज फाड़ दिये तथा अर्धनग्न अवस्था में कर दिये। शोर शराबा सुनकर माया देवी तथा आस–पास के लोग इकट्ठा हो गये तथा बीच बचाव किये। अभियुक्तगण जाते समय जान से मारने की धमकी दिये।

इस आशय की सूचना वादिनी मुकदमा ने सम्बन्धित थाना–खेजुरी पर दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब उसने न्यायालय में धारा–156(3) द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र दिया, जिस पर न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज का विवेचना किये जाने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय के आदेश पर प्रार्थी/ अभियुक्तगण ओम प्रकाश प्रजापित, तेज बहादुर प्रजापति, देवी लाल एवं घनश्याम, गोलू के विरूद्ध थाना–सिकन्दरपुर में मु0अ0सं0–132/2021, धारा–147, 323, 504, 506, 354 बी. भा0दं0सं0 3(2)(Va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के

तहत अपराध के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत हुआ।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण को गलत व फर्जी फंसाया गया है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। फर्जी तौर पर गॉव की प्रतिद्वन्दता वश फर्जी मुकदमा में अभियुक्त बनाया गया है। मामला धारा–156(3) द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत पारित आदेश पर दर्ज हुआ है। अभियुक्तगण बाप–बेटा व सगे भाई हैं। आवेदकगण द्वारा मुकदमा संख्या–426/2020 इस मुकदमें के वादिनी के पति ओम प्रकाश पासवान के विरूद्ध एक परिवाद दाखिल किया गया है, उसी के जबाब में उपरोक्त मुकदमा आवेदकगण के परिवार के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। मामले को चढ़ा–बढ़ा कर एस0 सी0/एस0 टी0 एक्ट का नाजायज लाभ लेने के लिये योजित किया गया है। आवेदकगण उपरोक्त अपराध संख्या के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किये थे, जो वापस लेने के कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश पारित किया गया कि आवेदकगण अवर न्यायालय में जमानत के लिये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदकगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एस.सी./एस.टी. एक्ट द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुये कहा गया है कि अभियुक्तगण ने एक राय होकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में अनुसूचित जाति के वादिनी को उसकी लज्जा भंग करते हुए, गालियॉ देते हुये मारा पीटा है तथा जान से मारने की धमकी दिया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाये।

वादी/पीड़ित पर तामीला के बावजूद जमानत प्रार्थना–पत्र पर अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं आया।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा आज तक अन्तरिम जमानत पर है। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि अभियुक्तगण ने एक राय होकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में अनुसूचित जाति के वादिनी को, उसकी लज्जा भंग करते हुए, गालियॉ देते हुये मारा पीटा है तथा जान से मारने की धमकी दिया है। वादिनी ने केस डायरी के पर्चा नं0–5 में कथन किया है कि '' मार पीट के दौरान मेरी साड़ी खुल गयी थी, ब्लाऊज फट गया था, किसी के खींचने से मेरी साड़ी नहीं खुली थी, ब्लाऊज नहीं फटा था।

मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण ओम प्रकाश प्रजापित, तेज बहादुर प्रजापति, देवी लाल एवं घनश्याम को जमानत पर रिहा किये जाने के पर्याप्त आधार पाता हूॅ।

तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण **ओम प्रकाश प्रजापित, तेज बहादुर प्रजापति, देवी लाल एवं घनश्याम** को उसके द्वारा रू0 20,000/– के स्वीय बन्धपत्र एवं इनती ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–20.09.2022

प्रभारी विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया।